

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
बी0सी0ओ0 कोड 1902,  
निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स  
भोपाल.मध्यप्रदेश.


विषय:-उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आवंटन बाबत ।  
संदर्भ-म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दि.2/02/2013

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में लेख है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित बजट आवंटन में से निम्नानुसार आपके बीसीओ कोड-1902 में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र.	मांग संख्या	राशि रुपये लाख में
1.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0101-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) सामान्य	200.00
2.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0102-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) आदिवासी उपयोजना	100.00
3.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0103-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) अनुसूचित जाति उपयोजना	75.00
योग		375.00

- उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 375.00 लाख (रुपये तीन सौ पचहत्तर लाख मात्र) का बजट आवंटन इस शर्त के साथ विमुक्त किया जाता है कि महाविद्यालयों में चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए नवीन कार्य तत्काल प्रारंभ करारकर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें।
  - कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पर व्यय हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य अपने एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  - प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।
  - बजट आवंटन के संबंध में म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 445/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 09.04.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 467/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 20.04.2018 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाए।
  - कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग उनके संभाग में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे प्रत्येक भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सके।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


  
(डॉ. श्रीमती) सुषमा दुबे  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

क्रमांक 448 / 150 / आउशि / निर्माण शाखा 6 / 17.

भोपाल, दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, बी०सी०ओ० कोड 1902, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित कार्यपालन यंत्री, संभाग, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
8. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा, सतपुडा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश, कृपया उपरोक्तानुसार आवंटित राशि को प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल के (बी०सी०ओ० कोड 1902 में) सर्वर पर हस्तांतरित कराने का कष्ट करें।
9. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

परियोजना संचालक,  
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,  
बी0सी0ओ0 कोड 1903,  
निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स  
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आवंटन बाबत ।  
संदर्भ-म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दि.2/02/2013

-0-


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में लेख है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित बजट आवंटन में से निम्नानुसार आपके बीसीओ कोड-1903 में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र.	मांग संख्या	राशि रूपये लाख में
1.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0101-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) सामान्य	3500.00
2.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0102-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) आदिवासी उपयोजना	1000.00
3.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0103-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) अनुसूचित जाति उपयोजना	1000.00
	योग	5500.00

उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5500.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ मात्र) का बजट आवंटन इस शर्त के साथ विमुक्त किया जाता है कि महाविद्यालयों में चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए नवीन कार्य तत्काल प्रारंभ कराकर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें।
- कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य पर व्यय हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य अपने एवं संबंधित संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- बजट आवंटन के संबंध में म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 445/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 09.04.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 467/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 20.04.2018 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाए।
- संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू), उनके संभाग में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे प्रत्येक भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सके।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

2/-

//2//


क्रमांक

प्रतिलिपि-

450/150/आउशि/निर्माण शाखा 6/17,

भोपाल, दिनांक 15/05/2018

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बी0सी0ओ0 कोड 1903, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल.मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित अतिरिक्त परियोजना यंत्री/संभागीय यंत्री, संभाग, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
8. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा, सतपुडा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश, कृपया उपरोक्तानुसार आवंटित राशि को परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल के (बी0सी0ओ0 कोड 1903 में) सर्वर पर हस्तांतरित करने का कष्ट करें।
9. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

क्रमांक 451 / 150 / आउशि / निर्माण / 2018,  
प्रति,

अधीक्षण यंत्री,  
राजधानी परियोजना प्रशासन,  
बी०सी०ओ० कोड 1807,  
बिट्टन मार्केट,  
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय पी.जी.गीतांजलि कन्या महाविद्यालय, भोपाल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आवंटन बाबत ।  
संदर्भ- म०प्र० शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दि. 02/02/2013

—0—


संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्राप्त बजट आवंटन में से शासकीय पी. जी. गीतांजलि कन्या महाविद्यालय, भोपाल में निम्न निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार आपके बी.सी.कोड-1807 में राशि आवंटित की जाती है:-

क	मौग संख्या	निर्माण कार्य का नाम	आवंटित राशि रूपये लाख में
1.	44-4202-01-203-0101-7643-64-001 (सामान्य)	1. बाउण्ड्रीवाल का निर्माण 2. एन.सी.सी./एन.एस.एस., भवन, के साईड में अतिरिक्त कक्ष एवं प्रथम तल का निर्माण, केन्टीन भवन के ऊपर पुस्तकालय विस्तार एवं द्वितीय तल पर दो क्लास रूम का निर्माण	59.80 353.09
कुल योग राशि रूपये लाख में			412.89

उपरोक्तानुसार राशि रूपये 412.89 लाख (रूपये चार सौ बारह लाख, नवासी हजार मात्र) का बजट आवंटन विमुक्त किया जाता है।

- निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें।
- कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म०प्र० शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्य के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- बजट आवंटन के संबंध में म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 445/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 09.04.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 467/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 20.04.2018 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाए।
- कार्यपालन यंत्री, उक्त निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सकें।


(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
(डॉ. श्रीमती) सुषमा दुबे  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क० 452/150/आउशि/निर्माण/2018,  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 15/05/2018

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, शा. विज्ञान एवं वाणिज्य महा., बेनजीर, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
8. प्राचार्य, शा. गीतांजली कन्या महा. भोपाल, मध्यप्रदेश ।
9. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल । कृपया उपरोक्तानुसार आवंटित राशि को राजधानी परियोजना प्रशासन, के बी०सी०ओ० कोड 1807, बिट्टन मार्केट, भोपाल, मध्यप्रदेश के सर्वर पर हस्तांतरित करने का कष्ट करें ।
10. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

  
(डॉ. (श्रीमती) सुषमा/दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 453/150/आउशि/निर्माण शाखा 6/2018, भोपाल, दिनांक 15/05/2018  
प्रति,

अधीक्षण यंत्री,  
राजधानी परियोजना प्रशासन,  
बी0सी0ओ0 कोड 1807,  
बिट्टन मार्केट,  
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय:- अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आवंटन बाबत ।  
संदर्भ-म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दिनांक 02/02/2013

—0—

अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 21-3/2015/38-2, दिनांक 08.09.2015 द्वारा राशि रूपये 49.15 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 2200.00 लाख आवंटित किये गये थे, जिसमें से राशि रूपये 1066.36 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रथम त्रैमास में प्राप्त बजट आवंटन में से राशि रूपये 990.00 लाख एवं तृतीय त्रैमास में राशि रू. 1210.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 2200.00 लाख आवंटित की गई थी, जिसमें से कुल राशि रू. 1603.00 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि रू. 1000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जो आपके बीसीओ कोड-1807 में निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है:-

क.	मांग संख्या	राशि रूपये लाख में
1.	मांग संख्या-44-2202-03-102-0101-6938-45-001 (हिन्दी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण ) सामान्य	1000.00
	योग	1000.00

उपरोक्तानुसार राशि रूपये 1000.00 लाख (रूपये एक हजार लाख मात्र) का बजट आवंटन विमुक्त किया जाता है।

- निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें।
- कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कुल सचिव, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल अपने एवं कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- बजट आवंटन के संबंध में म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 445/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 09.04.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 467/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 20.04.2018 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाए।
- कार्यपालन यंत्री, निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सकें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(श्रीमती) सुष्मा कुंज  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

2/-

क्रमांक 454/150/आउशि/निर्माण शाखा 6/18,  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 15/05/2018

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, बी०सी०ओ० कोड 1807, बिट्टन मार्केट, भोपाल.  
मध्यप्रदेश.
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-होशंगाबाद संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश ।
7. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल। कृपया उपरोक्तानुसार आवंटित राशि को राजधानी परियोजना प्रशासन, के बी०सी०ओ० कोड 1807, बिट्टन मार्केट, भोपाल. मध्यप्रदेश के सर्वर पर हस्तांतरित करने का कष्ट करें।
8. कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ (श्रीमती) सुममा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..